भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1121

उत्तर देने की तारीख 08 फरवरी, 2021

सोमवार, 19 माघ, 1942 (शक)

पहले से सीखे हुए कौशल को मान्यता देना

1121 प्रो. अच्युतानंद सामंत:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत आज की तिथि तक पहले से सीखे हुए कौशल को मान्यता देने के तहत राज्य-वार कितने व्यक्ति प्रमाणित किए गए हैं और ऐसे प्रमाणन के पश्चात नियोजन सुनिश्चित करने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायती राज विभाग के सहयोग से आयोजित हाल ही की प्रायोगिक परियोजना का ब्योरा क्या है और क्या पहले से सीखे हुए कौशल के लिए स्थानीय स्तर पर प्रमाणन प्राप्त करने के लिए और अधिक व्यक्तियों को अनुमति दे कर देश के अन्य भागों में इस मॉडल को सफलतापूर्वक दोहराया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राज कुमार सिंह)

(क) 19.01.2021 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2.0 (2016-20) के पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक के अंतर्गत देशभर में 46 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। आरपीएल में नियोजन किए जाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह पूर्व शिक्षण अनुभव और कौशलों वाले उम्मीदवारों को अभिमुख और प्रमाणित करता है। आरपीएल-पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के अंतर्गत प्रमाणित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) ग्राम पंचायतों (जीपी) से जुड़े या ग्राम पंचायतों के साथ जुड़ने वाले कुशल कामगारों के आकलन और प्रमाणन पर केंद्रित पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) की एक प्रायोगिक परियोजना को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों के दो-दो ब्लॉकों में प्रारंभ किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

- ब्लॉक: वाराणसी जिले में सेवापुरी (ग्रामीण) और बड़ा गांव (ग्रामीण)
- ब्लॉक: चंदौली जिले में नियमताबाद (ग्रामीण) और साहिबगंज (ग्रामीण)

इन ब्लॉकों में सभी 327 ग्राम पंचायतों को इस प्रायोगिक परियोजना के तहत शामिल किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतों के विकास कार्य के लिए कुशल संसाधनों के समूह की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। इस प्रायोगिक परियोजना को राज्य सरकारों के पंचायती राज विभाग की सक्रिय सहायता और सहयोग से देश के अन्य भागों में भी दोहराने पर विचार किया गया है।

अनुबंध

19.01.2021 स्थिति के अनुसार, आरपीएल-पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के अंतर्गत प्रमाणित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रमाणित
1.	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	46
2.	आंध्र प्रदेश	86,652
3.	अरुणाचल प्रदेश	15,627
4.	असम	2,76,081
5.	बिहार	1,74,817
6.	चंडीगढ़	4,167
7.	छत्तीसगढ़	19,450
8.	दिल्ली	1,55,924
9.	गोवा	3,025
10.	गुजरात	1,59,240
11.	हरियाणा	1,75,329
12.	हिमाचल प्रदेश	31,396
13.	जम्मू और कश्मीर	98,954
14.	झारखंड	1,65,486
15.	कर्नाटक	2,15,563
16.	केरल	1,28,427
17.	लद्दाख	74
18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	1,98,894
20.	महाराष्ट्र	5,90,632
21.	मणिपुर	25,019
22.	मेघालय	11,235
23.	मिजोरम	1,222
24.	नागालैंड	9,138
25.	ओडिशा	2,35,515
26.	पुडुचेरी	3,286
27.	पंजाब	79,225
28.	राजस्थान	4,37,678
29.	सिक्किम	1,341
30.	तमिलनाडु	2,25,605
31.	तेलंगाना	90,643
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4,403
33.	त्रिपुरा	49,111
34.	उत्तर प्रदेश	7,14,561
35.	उत्तराखंड	82,728
36.	पश्चिम बंगाल	1,30,027
कुल		**46,00,521**

****